न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 02/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/3

अपीलाण्ट :–
पेमाराम पुत्र शेषाराम जाति कुम्हार निवासी गांव टेवाली खुर्द तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मोहनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति रजपूत निवासी गांव टेवाली खुर्द तहसील व जिला पाली
2. श्रीमती यमुना कुमारी पत्नी गोरखराम जाति कुमावत निवासी टेवाली खुर्द तहसील व जिला पाली
3. तहसीलदार पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय
रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **30.10.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/1466 दिनांक 15.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा व अधिवक्ता श्री तरूण उपाध्याय वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम टेवाली खुर्द पटवार हल्का टेवाली में स्थित खसरा संख्या 225 तथा खसरा संख्या 228 अपीलाण्ट के पिता की कब्जाशुदा व काश्तसुदा खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलाण्ट व उसके भाई कनाराम के पक्ष में स्वीकृत हुआ। कनाराम ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पो. संख्या 01 व 02 को बेचाण कर दी इस कारण जमाबन्दी में अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज हुआ। अपीलाण्ट ने उपरोक्त दोनों भूखण्डों को रेकर्ड पर लाने व दोनों भूखण्डों के बीच में से होते हुए खसरा संख्या 225 व 228 में अपीलाण्ट के हिस्से में आई 1/2 भूमि में जाने तक का रास्ता रखने को कहा जो कि शुरू से ही अपीलाण्ट व उसके भाई कनाराम के मध्य से चला आ रहा था। जिस पर रेस्पोडेण्ट ने स्वीकृति दी और कहा कि इसी अनुसार बंटवारा करवाया जायेगा। चूंकि उक्त दस्तावेज रेस्पोडेण्ट ने ही तैयार करवाये और अपीलाण्ट अनपढ़ होने के कारण उक्त दस्तावेजों को पढ़ नहीं पाया और विश्वास में रखकर अपीलाण्ट के अंगुष्ठ निशान करवाये गये थे जो कि गलत रूप से करवाये गये थे। अपीलाण्ट को जिस रूप में विश्वास दिलाया गया था उस रूप में बंटवारा होना था, जो नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने भी बंटवारा करते समय वास्तविक स्थिति को नहीं देखा और न ही खसरा संख्या 225 व खसरा संख्या 228 में जाने के रास्ते के बारे में कोई

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

ध्यान नहीं देते हुए जैर निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 02 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को खसरा संख्या 225 व खसरा संख्या 228 में आने जाने का कोई भी सुक्ष्मतम मार्ग उपलब्ध करवाया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आपसी सहमति के बंटवारे का प्रकरण की अपील है जिसमें देखने नक्शा से ही स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को जो आराजियात संख्या 225 व 228 दी गई है वही रेस्पोडेण्ट को जो आराजी दी गई है उनमें यह प्रकट आता है कि अपीलाण्ट को जो आराजी संख्या 225 व 228 दी गई है उनमें आपस में आने–जाने का रास्ता ही उपलब्ध नहीं है। अतएव प्रथम–दृष्ट्या बंटवारा राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियमों के अनुरूप नहीं है क्योंकि अपीलाण्ट अपनी भूमि जो खसरा संख्या 225 है से खसरा संख्या 228 पर आने–जाने के लिए उसे कोई मार्ग उपलब्ध नहीं रहा है तो ऐसे विभाजन में न्याय व साम्या (Justice and Equality) की पालना नहीं हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का बंटवारे का निर्णय अपास्त कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को दी गई भूमियों में सुक्ष्मतम दूरी का उचित चौड़ाई का रास्ता उपलब्ध करवाते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षों को सुनकर तैयार करावे। उक्त निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का आपसी सहमति का विभाजन आदेश क्रमांक/ राजस्व/ 2021 /1466 दिनांक 15.11.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित कर उक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः प्रकरण को सुनकर बाद जांच विधि अनुरूप बंटवारे का निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner